फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (FT) शाहपुरा जयपुर

कैलाश वगै० बनाम हजारीलाल वगै०

संख्या / वर्ष 86/2023 : जप्ती T.I. 212/19 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बावजूद सूचना व तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वकील प्रार्थी ने उक्त T.I. प्रा० पत्र को तामिला हलवाद तक स्थाई किये जाने हेतु एकपक्षीय बहस की। सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रकरण में अप्रार्थीगण को बावजूद सूचना एवं तामील के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। हल वाद अवैधता व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से उक्त T.I. प्रा० पत्र को तामिला हलवाद स्थाई / मन्जूर किया जाना उचित प्रतीत होवे। अतः उक्त T.I. प्रार्थना पत्र में माननीय अदालत दिनांक 10.10.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तामिला हल वाद स्थाई / मन्जूर किया जाता है। पत्रावली फुलस्केप शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं हल वाद में दर्ज हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	